रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 1974/वैशाख 24, 1896

No. 115] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 1974/VAISAKHA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library 14 JUN 1974 Govt. of India

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May 1974

No. 41/2(ii)/CI/74.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin-Part II, dated the 10th May, 1974, is hereby published for general information:—

No. 1734

Amendments to the Rules of Procedure and Conduct at Business in Lok Sabha (Fifth Edition)

In pursuance of sub-rule (3) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the following amendments approved by Lok Sabha to the said Rules are hereby published:—

Rule 37

1. In Rule 37, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Not more than one question distinguished by asterisk by the same member and not more than twenty questions in all shall be placed on the list of questions for oral answer on any one day:

Provided that when a question is postponed or transferred from one list of questions for oral answer to another more than one question may stand in the name of one member and the total number of questions may exceed by such postponed or transferred question."

Rule 54

2. In sub-rule (6) of Rule 54, for the words "to read the question", the following shall be substituted, namely:—

"to ask the question by reference to its number on the list of questions".

Rule 72

3. In Rule 72,—

(i) for the words "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question:" the following words shall be substituted, namely:—

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed the Speaker, after permitting, if he thinks fit, brief statements from the member who opposes the motion and the member who moved the motion, may, without further debate put the question:"

(ii) after the proviso, the following further proviso shall be added, namely:—

"Provided further that the Speaker shall forthwith put to vote the motion for leave to introduce a Finance Bill or an Appropriation Bill."

4. In the Fourth Schedule, in Part I, after entry 11, the following shall be added, namely:—

"12. The Delhi Transport Corporation."

S. L. SHAKDHER,
Secretary-General'

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1974

सं० 41/2 (ii)/सी I /74.—लोक सभा समाचार—भाग 2, दिनांक 10 मई, 1974 में प्रकाशित निम्नलिखित पैराग्राफ एतद्द्वारा सामान्य जानकारी हेतुप्रकाशित किया जाता है :—

'संख्या 1734

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों

(पांचवां संस्करण) में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 331 के उप-नियम (3) के अनुसरण में उक्त नियमों में लोक-सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :—

नियम 37

1. नियम 37 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :—

"(1) मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन की प्रश्न सूची में एक ही सदस्य का तारांक लगा कर विभेद किया गया एक से अधिक प्रश्न तथा कुल मिलाकर बीस से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे ;

"परन्तु जब कोई प्रश्न स्थगित कर दिया जाता है या मौखिक उत्तर के लिए, किसी प्रश्न सूची से अन्य प्रश्न सूची में स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो एक सदस्य के नाम में एक से अधिक प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं तथा प्रश्नों की कुल संख्या इस प्रकार स्थगित अथवा स्थानान्तरित प्रश्न-संख्या के अनुसार बढ़ सकती है ।"

नियम 54

2. नियम 54 के उप-नियम (6) में, "प्रश्न पढ़ने के लिए" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रश्नों की सूची में उस प्रश्न की संख्या का हवाला दे कर प्रश्न पूछने के लिए ।"

नियम 72

3. नियम 72 में;—

(एक) "यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद, बिना अग्रेतर वाद-विवाद के, प्रश्न रख सकेगा ;" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेसर वाद-विवाद के, प्रश्न रख सकेगा ।"

(दो) परन्तुक के पश्चात् एक और निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरन्त मतदान के लिए रखेगा ।"

4. चतुर्थ अनुसूची में, भाग 1 में, प्रविष्टि 11 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा ; अर्थात् :—

"12. दिल्ली परिवहन निगम ।"

श्यामलाल शकधर,
महासचिव ।'

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974